अध्याय 4: नियम एवं पद्धतियों का अनुपालन

लेखापरीक्षा ने जाँच की कि क्या समय-समय पर सीबीईसी द्वारा जारी सीमाशुल्क अधिनियम 1962, पीआईआर 1986 अधिसूचनाओं और निदेर्शों के तहत बनाए गए नियम, विनियमों एवं पद्धतियों का अनुपालन था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण परियोजना आयात रियायत के गलत अनुदान के मामले थे, इस प्रकार निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में ढिलाई दर्शाते हुए मिलान विवरणों और अन्य दस्तावेजों की कमी में भी मामले निर्धारित किए गए।

4.1 अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में पूर्ण किये गये ठेके

सीमाशुल्क कानून नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ5 के साथ पढ़े गए पीआईआर, 1986 के विनियम 7 के अनुसार, आयातक को पिछले प्रेषित माल की निकासी की तिथि या निर्धारिणों के निर्धारण के लिए ऐसी बढ़ाइ गई समय सीमा के तहत तीन महीने के भीतर सीमाशुल्क प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेज[25] प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। चयनित मामलों में संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा पीएसवी की जाती है।

4.1.1 मिलान विवरणों एवं अन्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्धारित किए गए मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी, कांदला और एसीसी नई दिल्ली कमिश्नरी के तहत पाँच संविदाए सीमाशुल्क प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए थे यद्यपि आयातक ने आवश्यक दस्तावेज या कम दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया। ₹ 9.60 करोड़ की शुल्क रियायतों का आयातकों द्वारा लाभ उठाया गया था।

एक उदाहरण दर्शक मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

24 बीइज़ (₹ 29.38 करोड़) वाली कांदला कमिश्नरी में पंजीकृत एक संविदा[26] (जुलाई 2010) कमिश्नरी द्वारा जुलाई 2014 में निर्धारित की गई थी। तथापि, आयातक ने मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं किया था और प्रेषित माल की चार

[25] पंजीकृत/प्रमाणीकृत चार्टर्ड इंजीनियर, प्रविष्टि बिलो (बीईज) की कॉपी बीजक, अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र आदि से संस्थान प्रमाणपत्र के साथ माल का विवरण, मात्रा और मूल्य दर्शाता मिलान विवरण

[26] मेसर्सएफएलएसमिथ, चेन्नै

बीइज़[27] की प्रति दिसम्बर 2010 में मुम्बई द्वारा आयातित की गई थी। सीमाशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई ने कांदला सीमाशुल्क से कुछ स्पष्टीकरण की माँग की थी किंतु मुम्बई सीमाशुल्क, कांदला सीमाशुल्क मामले का स्पष्टीकरण दिए बिना संविदा निर्धारित की।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है ।

4.1.2 प्रमाण पत्र/प्लांटसाइट सत्यापन के संस्थापन के बिन परियोजना संविदाओं का निर्धारण

₹ 45.15 करोड़ की शुल्क रियायत वाले पाँच कमिश्नरी के तहत 11 मामले लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि यह संविदाएँ कमिश्नरियों द्वारा बिना संस्थापन प्रमाणपत्र अभिलिखित किए या सक्षम प्राधिकारी के अलावा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र को स्वीकारने द्वारा निर्धारित की गई थीं **(परिशिष्ट 4)**।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है।

4.1.3 क्षमता के विस्तारण के सत्यापन के बिना परियोजना संविदाओं का निर्धारण

विनियम 3(सी) के अनुसार, एक प्लांट की संस्थापित क्षमता के महत्वपूर्ण विस्तारण का अर्थ है विस्तारण जो कि कम से कम 25 प्रतिशत वर्तमान संस्थापित क्षमता को बढ़ाएगा। दिनांक 12 मार्च 1992 एमओएफ पत्र सं. 521/192/90-सीयूएसटीयू के अनुसार दस्तावेज़ी प्रमाण जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाणपत्र, बही लेखा आदि को आयातकों द्वारा उनके महत्वपूर्ण विस्तारण के दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है लेखापरीक्षा ने विस्तारण के सत्यापन के बिना परियोजना के निर्धारण के मामले देखे।

[27] दिनाँक 13.12.2010 प्रविष्टि बिन सं. 2426943, दिनांक 13.01.11 691304, दिनांक 28.12.2010 और दिनांक 15.01.2011 2589460

(i) कांदला, मुंद्रा एनसीएच-मुम्बई कमिश्नरियों में लेखापरीक्षाने 87.44 करोड़ मूल्य के सीआईएफ मूल्य की पाँच संविदाएं[28] जैसा कि आयातकों द्वारा प्रस्तावित की गई थी, बिना महत्वपूर्ण विस्तारण का सत्यापन किए जुलाई 2011 और मार्च 2016 के बीच सीमाशुल्क द्वारा निर्धारितकी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2.62 करोड़ के परियोजना आयात लाभ का गलत लाभ उठाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

(ii) हैदराबाद और लुधियाना कमिश्नरियों के तहत पंजीकृत (मई 2011 और फरवरी 2012) ₹ 20.25 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के दो संविदाएँ[29] थी, लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड जो कि है 2011-12 से 2014-15 वर्षोंके लिए प्रस्तुत वार्षिक संस्थापित क्षमता विवरण (ई-आर-7 प्रतिगम) वार्षिक संस्थापित क्षमता वही रही जो कि परियेाजना आयात के पूर्व थी। चूंकि दस्तावेजो प्रमाणों ने यह प्रमाणित नहीं किया कि प्लांट क्षमता का कोई भी विस्तारण मशीनरी के आयात के बाद हुआ था, परियोजना आयातों के तहत उठाया गया लाभ अनियमित था। इस प्रकार आयातित मशीनरी पर 59.95 की शुल्क रियायत को वसूलने की आवश्यकता है।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है। **(परिशिष्ट – 4ए)**

4.2 योजना के तहत अनुमत अस्वीकार्य आयात

सीमाशुल्क नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार, माल की निकासी के समय पर सीमाशुल्क प्राधिकरण को पंजीकृत माल के विवरण, मूल्य और मात्रा की जाँच करने की आवश्यकता है।

4.2.1 मशीनरी की अपवर्जित श्रेणियों के लिए शुल्क रियायत का गलत अनुदान

दिनांक 9 जनवरी 2012 का. ज्ञा. सं. एफ सं. 354/2/2012-टीआरयू में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मेट्रो रेल परियोनाओं के लिए आवश्यक

[28] मेसर्स सनशाइन टाइल्स क. प्रा. लि. मेसर्स सोमानी सेरेमिक्स लि., मेसर्स रामोजी ग्रेनाइट मि. मेसर्स सेन्टोसा ग्रेनीटो प्रा. लि. एंड मेसर्स लाएड स्टील इंडिया लि.

[29] मेसर्स, एएसनजे सिन्थेटिक लि. एवं मेसर्स एवॉन इस्पात एंड पावर लि.

टनलबोरिंग मशीन/कल पूर्जे योजना के आयात के लिए योग्य नहीं है, चूँकि आयातित मशीने प्लांट या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के खण्डन में, आईसीडी कमिश्नरी बैंगलुरू में, एक आयातक[30] ने टनल बोरिंग मशीनों और कलपुर्जों क्रमानुसार के आयात के लिए जनवरी 2011 और जुलाई 2011 में दो संविदाएं पंजीकृत की थी। और ₹ 7.08 करोड़ की शुल्क रियायत अनुमत की। दोनों संविदाएँ सीमाशुल्क द्वारा सितम्बर 2015 में निर्धारित की गई थी।

राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि टीबीएम एक अलग मशीन है और सेगमेन्ट मोल्ड एक अलग मशीन है जबकि पूर्व वाला सुरंग खोदने के लिए और दूसरा लाइनिंग के लिए पूर्व निर्मित ठोस सेगमेन्ट का निर्माण करने के लिए है।

राजस्व विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कार्यालय उपरोक्त ज्ञापन द्वारा टीबीएम मशीन को शुल्क छूट के मामले को निस्तारित नहीं करता, पीआईआर 1986 के अन्तर्गत शुल्क छट केवल उन मशीनों को उपलब्ध है जो परियोजना प्राधिकरण को आयातक द्वारा जो कि बुनियादी ढांचे के एक भाग के रूप में सौंप दिया जाता है। लेकिन, तत्काल मामले में मशीनरी आयातक द्वारा बनाए रखा गया।

4.2.2 आयात किए जाने के लिए अनुमत एवं वास्तव में आयातित माल के बीच त्रुटियाँ

₹ 24.03 करोड़ सीआईएफ मूल्य और ₹ 1.86 करोड़ के शुल्क रियायत के साथ आयात के तीन मामलों में लेखापरीक्षा ने परियोजना आयात के तहत आयात के लिए अनुमत माल और आयातकों द्वारा वास्तव में अनुमत माल में त्रुटियाँ देखी। दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

कोलकाता पत्तन कमिश्नरी में, एक आयातक[31] ने नॉदर्न कोलफील्ड लि. के अमलोहरी कोयला खनन विस्तारण परियोजना में दो इलैक्ट्रिरक वॉकिंग ड्रेगलाइन की आपूर्तिके लिए आवश्यक माल के आयात के लिए एक संविदा

[30] मेसर्स कॉन्टिनेटल इंजीनियर कॉर्पोरेशन

[31] मेसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.

पंजीकृत की। आयातक ने नौ खरीद आदेशों और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मदों की एक सूची की प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं।

फाइल में संलग्नित आयात दस्तावेजों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दो बीईज़ के तहत आयातित मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, कनाड़ा के साथ निष्पादित दिनाँक 30 मार्च 2011 खरीद आदेश द्वारा शामिल मोटरों (होइस्ट, प्रोपेल, स्विंग, ड्रेग) पंजीकरण के लिए अनुमोदित खरीद संविदा में से भिन्न मॉडल संख्याएँ थी। इसके अतिरिक्त फर्म ने खरीद संविदा में चार होइस्ट मोटरों (दो ड्रैगलाइनों के लिए) के प्रति छः होइस्ट मोटरों को आयात किया था।

चूँकि आयातित मोटरें अनुमोदित खरीद संविदा में सहमत विनिर्दिशों की नहीं थीं, वे शुल्क की रियायती दर के लिए योग्य नहीं थी। सीटीएच 9801 के तहत लाभ के गलत विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 18.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य पर ₹ 1.67 करोड़ की छूट का गलत लाभ उठाया गया।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) है कि मामले की गुणवत्ता को आंका जा रहा है और एक अंतिम जबाब भेजा जाएगा।

एक अन्य मामले में, एनसीएच कमिश्नरी मुम्बई के तहत एक आयातक[32] ने ₹ 121.40 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए कर्नाटक इस संविदा में सीमेंट प्लांट के प्रारंभिक संस्थापन के लिए इस संविदा पंजीकृत (मार्च 2014) की। आयातक ने ₹ 5.**54** करोड़ सीआईएफ मूल्य की दो ड्रिलिंग मशीने का आयात किया और उन पर ₹ 16.62 लाख की शुल्क छूट का लाभ उठाया।

चूँकि ड्रिलिंग मशीनें आवश्यक रूप से खनन परिचालनों के लिए क्वेरी ब्लास्ट होल ड्रिलिंग के लिए थी और इन सीमेंट प्लांट के लिए नहीं थी; इस प्रकार वे रियायती शुल्क के लिए योग्य नहीं थे।

वाणिज्य मंत्रालय (अक्टूबर 2015)ने आयातक को इस शर्त के अधीन तेलंगाना राज्य में एक ड्रिलिंग मशीन को इसके अन्य प्लांट हस्तांतरित किया कि आयातक संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकरण को ब्याज और अन्य शेषों के साथ सीमाशुल्क जमा करेगा। तथापि, न तो मशीन का हस्तांतरण, न ही शुल्क और ब्याज का भुगतान रिकॉर्ड में नहीं था।

[32] मेसर्स आरिएंड सीमेंट लि.

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.3 सीलिंग के अधिक स्पेयर का आयात

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 9801 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना आयात माल के अतिरिक्त, माल के निर्धारणीय मूल्य के 10 प्रतिशत तक कलपुर्जे और उपभोज्यों का आयात किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः पंजीकृत सविदाओं में (दिसम्बर 1997 और मई 2014 के बीच) और पाँच कमिश्नरियों[33] में आयातकों ने 10 प्रतिशत की निर्धारित सीलिंग से अधिक कलपुर्जो/उपभोज्यों का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के शुल्क छूट का अनियमित लाभ उठाया गया।

कुछ मालमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) कोचीन सीमाशुल्क कमिश्नरी में, एक आयातक[34] ने कट्टीयाड़ी हाइड्रो विद्युत परियोजना के संस्थापन (IX50 एमडब्ल्यू) के लिए एक परियोजना संविदा सं. 2/1997 पंजीकृत की थी। ₹ 64.69 करोड़ के मूल्य के पंजीकृत माल ने ₹ 7.35 करोड़ के अतिरिक्त निहित है। ₹ 7.35 करोड़ के अतिरिक्त स्पेयर के मूल्य ने 6.47 करोड़ की मशीनरी के मूल्य के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा को पार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.95 लाख के स्पेयर का अधिक आयात हुआ।

अधिक आयात का कारण बताए बिना दिसम्बर 2013 में संविदा निर्धारित की गई। स्पेयरों के अधिक मूल्य में ₹ 27.65 लाख की शुल्क रियायत निहित थी।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2016), कमिश्नरी ने कहा (अप्रैल 2016) कि निर्णायक प्राधिकरण ने सभी विवादपूर्ण मामलों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया और उसे उस चरण पर पुनः शुरू नहीं किया जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि इसने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अधिक स्पेयर के आयात के मामले को संबोधित नहीं किया।

[33] एसीसी नई दिल्ली, चेन्नै समुद्री सीमा शुल्क, कोची, कांदला और मुम्बई (एनसीएच)
[34] मेसर्स करेल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (केएसईबी)

राजस्व विभाग के दिनांक (दिसम्बर 2016) के उत्तर अनुसार ऊपरोक्त टिप्पणियां परीक्षाधीन है।

(ii) एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में, सूरत, गुजरात में 1100 एमडब्ल्यू सूगेन कम्बाइन्स साईकल पावर प्लांट के प्रारंभिक संस्थापन के लिए अप्रैल 2006 में संविदा पंजीकृत की थी। आयातक[35] ने दिनाँक 1 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 400 के तहत शुल्क की 'शून्य' दर का दावा किया। माल को 398 बीइज द्वारा आयातित किया गया और अगस्त 2013 में सीमाशुल्क द्वारा संविदा को निर्धारित किया गया।

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत दिनाँक 30 दिसम्बर 2009 प्रमाणपत्र दस्तावेजों के सत्यापन ने दर्शाया कि आयातित प्लांट एंव मशीनरी का कुल मूल्य यूएसडी 29,51,60,346 और स्पेयर का यूएसडी 3,14,31685 था। स्वीकार्य स्पेयर का अनुमत 10 प्रतिशत यूएसडी 2,94,63,383 था इसके परिणामस्वरूप यूएसडी 19,68,302 (₹ 8.86 करोड़) का अधिक आयात हुआ। अयातक ने यूएसडी 16,39,737 (₹ 9.39 करोड़) मूल्य के आयातों पर शुल्क का भुगतान किया। यूएसडी 3,28,565 (₹ 1.48 करोड़) के अधिक आयात शेष पर, किसी शुल्क पर भुगतान नहीं किया गया था। अनुमत सीमा से अधिक स्पेयर के सीमाशुल्क के भुगतान के बाद निपटान की आवश्यकता थी। ₹ 1.48 करोड़ का अधिक आयात शेष पर ₹ 42.34 लाख का सीमाशुल्क लगा।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने कहा है (दिसंबर 2016) उपरोक्त टिप्पणियां परीक्षाधीन है।

4.4 माल की गलत निकासी

पीआईआर, 1986 के नियम 5 के साथ पठित नियम 4 के अंतर्गत, प्रोजैक्ट इंपोर्ट के अंतर्गत निर्धारण केवल इस माल के लिए उपलब्ध होगा जो घरेलु खपत के लिए माल की निकासी हेतु किसी आदेश को जारी करने से पूर्व उपयुक्त सीमाशुल्क हाऊस के पास पंजीकृत विशिष्ट ठेके के प्रति आयात किया गया है और आयातक को जहां माल आयात किया जाना है या उनके आयात से पूर्व पोर्ट पर पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

[35] मैसर्स टोरेन्ट पॉवर लि.

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मामलों में, माल की निकासी ठेकों के पंजीकरण से पहले ही कर दी गई थी और तीन मामलों में, माल या ठेकों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर या पहले आयात कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.39 करोड़ के परियोजना आयात छूट की अनियमित प्राप्ति हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं. 6: माल की गलत निकासी

कमि.	ठेका सं.	शुल्क छूट (₹ लाख में)	टिप्पणी
कोचीन	1/2013	12.41	फरवरी 2015 में ठेका पंजीकृत किया गया था परंतु जनवरी 2015 में पार्ट शिपमेंट मंजूर कर दी गई।
एनसीएच, मुम्बई	एस/5-17/ 2012/सीसी	109.57	माल 18.12.2012 को आयात किया गया । 21.12.2012 को आवेदन किया गया और 02.12.2012 को ठेका पंजीकृत किया गया था परंतु 28.12.2012 को माल की निकासी कर दी गई थी।
तूतीकोरिन	3/2003	362.00	10.07.2013 को ठेका पंजीकृत किया गया था जबकि माल पहले ही 30.07.2012 को आयात किया जा चुका था।
हैदराबाद	एस20/परि. आयात/01/2011-आईसीडी	7.45	सितम्बर 2010 और जनवरी 2012 के बीच पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया परंतु जनवरी/मार्च 2010 में माल पहले ही गोदाम में रखा जा चुका था।
विशाखापटनम	एस13(ए)/02/2013-एपी	47.26	17.07.2013 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया परंतु कार्गो 22.06.2013 को पहले ही आ चुका था।

पीआईआर का उल्लंघन करते हुए माल की निकासी के उपरोक्त मामले प्रोजैक्ट आयात माल की निकासी के लिए अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) ने आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत की है जो परीक्षाधीन है।

4.5 शुल्क की गलत दर लगाना

प्रोजैक्ट आयात के अंतर्गत, समय-समय पर विनिर्दिष्ट मौजूदा दर/छूट के अनुसार आयातक को उत्पाद शुल्क (बीसीडी, सीवीडी, एसएडी) अदा करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने सात कमिश्नरियों में माल/प्रोजैक्ट के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की दर के गलत लागू करने के नौ ठेकों के मामले पाये और ₹ 3.03 करोड़ राशि के कम उद्ग्रहण के कारण उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं/ कम भुगतान किया गया।

तालिका सं. 7: शुल्क की गलत दर

कमि.	पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	शुल्क का कम/ उद्ग्रहण न होना (₹ लाख में)
कांडला	2	एक मामले में एसएडी का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और एक अन्य मामले में 'लुबरीकेटिंग ऑयल' का गलत वर्गीकरण किया गया था और सीवीडी का कम उद्ग्रहण किया गया था।	119.32	8.62
मुंद्रा	6	'लुबरीकेटिंग ऑयल' का गलत वर्गीकरण किया गया था और सीवीडी का कम उद्ग्रहण किया गया था।	2694.31	123.85
चेन्नै	2	'डिस्क इंसूलेटर' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	216.14	75.65
कोचीन	4	'सीमलैस पाईप' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	190.01	28.94
कोलकाता	2	मंडी/गोदाम में 'यांत्रिकी प्रबंधन प्रणाली/ पैलट रैकिंग प्रणाली' के स्थान पर 'कोल्ड स्टारेज प्रणाली' के रूप में परियोजना को मानते हुए दावा की गई शुल्क कटौतियां	262.05	39.82
एनसीएच, मुम्बई	1	'फिल्टर बैग' का गलत वर्गीकरण	496.86	23.00
जेएनसीएच, मुम्बई	3	'लिफ्ट सिंचाई' परियोजना को जल आपूर्ति परियोजना माना गया	14.66	3.07

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना आयात डाटा के विश्लेषण से शुल्क के कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण न करने के विवरण नीचे दिये गये है:

तालिका सं. 8: शुल्क के कम उद्ग्रहण/ उद्ग्रहण न करने

पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	पाया गया कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)
नौ पत्तनों[36] के 70 बीई	'विद्युत इंसुलेटर' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	18508.33	6385.35
पाँच पत्तनों[37] के 22	ल्यूबरीकेटिंग/ट्रांसफार्मर ऑयल/	4219.88	123.79

[36]कोलकाता समुद्र, कनकपुरा (जयपुर आईसीडी), मंडीदीप, नागपुर, न्हावा शेवा समुद्र, केएलपीपीएल-आईसीडी/पनकी, पारादीप, रायपुर, बैंगलोर आईसीडी

पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	पाया गया कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)
बीई	इंसुलेटिंग ऑयल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण सीवीडी का कम भुगतान किया गया।		
छः पत्तनों के 105 बीई		अपूर्ण डाटा के कारण कम उद्ग्रहण को प्राप्त नहीं किया जा सका।	

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) ने आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत की है जो परीक्षाधीन है।

4.6 रबड़ कैमिकल के आयात पर प्रति-पाटन शुल्क की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 20 अक्तूबर 2005-सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 94/2005 के अनुसार रबड़ रसायनों की विभिन्न श्रेणी पर यूरोपीयन यूनीयन, चीन गणराज्य, चाईनीज ताइपे और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित माल पर प्रति-पाटन शुल्क देना पड़ा।

कोलकाता कमिश्नररी में, मै. नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमि. के कोयला खदान विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक स्टील कॉर्ड बैल्ट के 22,000 मीटर के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात हेतु एक आयातक[38] ने एक ठेका पंजीकृत कराया (जनवरी 2007)।

चूंकि आयातकों द्वारा प्राप्त की गई छूट पीआईआर 1986 की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, उक्त को अंतरीय शुल्क की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णयन प्रक्रिया (जनवरी 2016) द्वारा कमिश्नरी द्वारा नामंजूर कर दिया गया।

ठेके के अंतर्गत किये गये आयात के विवरणों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि फर्म ने चीन गणराज्य और चीन ताइपे के एमओआर, 6 पीपीडी और टीडीक्यू जैसी कंपनी से रबड़ रसायन भी आयात किया (जनवरी 2007) जिस पर दिनांक 20 अक्तूबर 2005 की अधिसूचना सं. 94/2005 की शर्तों के अनुसार प्रति-पाटन शुल्क देय था। यद्यपि, ₹ 7.53 लाख राशि का प्रति-पाटन शुल्क न तो बीई के अस्थायी निर्धारण के समय संग्रहित की गई न ही निर्धारण के समय अंतिम रूप देते समय ध्यान रखा गया।

[37] बॉम्बे समुद्र, कोलकाता समुद्र, न्हावा शेवा मुम्बई, आईसीडी तुगलकाबाद, विजाक समुद्र

[38] मै. फोनिक्स कंवेयर बैल्ट इंडिया (प्रा.) लिमि. पूर्ववत् मै. फोनिक्स यूल लिमि.

इस ओर ध्यान दिलाने पर (जून 2016), राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि मामला आयातक के साथ उठाया गया है और अंतिम जवाब आयातक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर दिया जाएगा ।

4.7 आईसीईएस 1.5 में ब्याज की गलत दर

दिनांक 1 मार्च 2011 की एनटी अधिसूचना के अनुसार, 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज उत्पाद शुल्क के गैर/कम उद्ग्रहण पर देय था।

अहमदाबाद कमिश्नरी (आईसीडी खोड़ीयार) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना ठेका सं. 01/2012 अपने नये वाहन संयंत्र, सननद, गुजरात के लिए एक आयातक[39] द्वारा ₹ 293.44 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए माल के आयात हेतु पंजीकृत (दिसम्बर 2012) कराई गई।

अप्रैल, 2013 के दौरान आयातित चार खेपों के मामले में, आयातक ने प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अनुमत मात्रा से अधिक माल आयात किया। आयातक ने दिनांक 26 अक्तूबर 2013 के चालान सं. 371 से तैयार की गई इडीआई द्वारा ब्याज सहित अधिक मात्रा पर परियोजना छूट प्राप्त किये बिना पूरा शुल्क अदा किया और दिनांक 24 मई 2013 के पत्र द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान विवरण की सूचना दी।

ब्याज का आंकलन किया गया और उत्पाद शुल्क के कम/गैर-उद्ग्रहण अदा किये जाने पर 18 प्रतिशत (धारा 28 के लिए लागू) के स्थान पर इसे शुल्क का सामान्य देरी से भुगतान मानते हुए 15 प्रतिशत (उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 47 हेतु लागू) पर अदा किया गया जिसके कारण ₹ 1.03 लाख के ब्याज सहित कम भुगतान किया गया।

इस प्रकार, आईसीईएस 1.5वी. के ब्याज आंकलन क्षेत्र अद्यतित करने की आवश्यकता है, ताकि शुल्क के कम भुगतान के ऐसे मामलों में ब्याज दर की मान्य दर को लागू किया जा सके।

डीओआर ने अपने जवाब (दिसंबर 2016) में कहा है कि आयातक को अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है ।हालांकि आईसीएस ने सुधार के संबंध में डीओआर का उत्तर मूक है।

[39] मै. फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमि.

4.8 परियोजना आयात के मामले में जारी एससीएन का लंबित/गैर अधिनिर्णयन

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9) के अनुसार, जहां भी करनासंभवहो, अधिनिर्णयन आदेश सामान्य समय में छः महीने के और सांठ-गांठ, जान-बुझकर गलत विवरण, तथ्यों का छिपाना, धोखा-धड़ी आदि के मामले मे एससीएन/मांग नोटिस के जारी करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पास किया जाना चाहिए।

चेन्नई समुद्र, एसीसी, नई दिल्ली और एनसीएच, मुंबई कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने जुलाई 2011 और फरवरी 2015 के बीच जारी किये गये ₹ 12.61 करोड़ शुल्क वाले एससीएन के गैर-अधिनिर्णयन के 34 मामले पाये जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.8.1 चेन्नै समुद्र कमिश्नरी: ₹ 460.22 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले प्रोजैक्ट ठेके (2004-2010) के 25 मामलों में, अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के लिए एससीएन जारी किये गये थे। 2011 से 2012 के दौरान जारी किये ये एससीएन जुलाई 2016 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे। 25 एससीएन में से, चार एससीएन पांच वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन लंबित थे और 21 एससीएन चार वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन लंबित थे। 25 मामलों में से, 11 मामलों में मांगा गया शुल्क ₹ 12.06 करोड़ था और शेष 14 मामलों के लिए, मांगे गये शुल्क के विवरण कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कहा है कि आवश्यक दस्तावेजों की गैर प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और न्याय निर्णयन का पालन कारण प्रक्रिया के करने के बाद किया जाएगा।

4.8.2 एसीसी, नई दिल्ली कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन एससीएन अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के गैर-

प्रस्तुतीकरण कि लिए एक आयातक[40] को जारी किये (फरवरी 2015)। व्यक्तिगत सुनवाई कराने के बाद (मार्च 2016), कमिश्नरी ने अप्रैल 2016 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आयातक को अतिरिक्त समय प्रदान किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2016 तक आयातक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और अधिनिर्णयन कार्रवाईयां लंबित थी। राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कहा है कि आयातक को 2015 में एससीएन जारी किया गया था और शीघ्र ही निर्णयाधीन होगा।

4.8.3 एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में, ठेका सैल में एससीएन पंजिका के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2011 के बाद जारी किये गये 61 एससीएन लेखापरीक्षा (जून/जुलाई 2016) की तिथि तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। 61 एससीएन में से, 58 एससीएन छः महीने के बाद भी अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि लंबन हेतु सामान्य कारण थे:-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों से अन्य भाग और लंबित पीएसवी से बीई की विलंबित कार्रवाई। लंबित अंतिम निर्णय;

(ख) विभागीय कार्रवाई की कमी, निगरानी कमी, फोलो-अप न किया जाना और न पता लगाये जाने योग्य फाईलें।

जेएनसीएच, मुम्बई में, न तो एससीएन पंजिका और न ही एससीएन के जारी करने/लंबन के सांख्यिकी विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2016) कहा है कि जेएनसीएच, मुम्बई आयुक्तालय में छमाह से अधिक विलम्बित 58 एससीएन में से 23 एससीएन में निर्णय हो गया। इन मामलों में आवश्यक रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों से संपर्क, द्वारा लंबित मामलों के लिए जल्दी न्याय निर्णयन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जेएनसीएच आयुक्तालय में अब कारण बताओ नोटिस हेतु रजिस्टर बनाया जा रहा है।

4.9 सुनिश्चित मांग की गैर-वसूली

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(10) दर्शाती है कि जहां इस धारा के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा शुल्क के निर्धारण आदेश पारित किये

[40] मै. एनबीसीसी लिमि.

गये हैं, उक्त शुल्क अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ताकि ऐसी राशि पर देय ब्याज सहित निर्धारित राशि अदा करेगा या ब्याज की राशि अलग से विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

4.9.1 एसीसी कमिश्नरी, नई दिल्ली: लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि ₹ 44.86 लाख सीआईएफ मूल्य वाले दो ठेकों में, ठेकेदार अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। कमिश्नरी ने एससीएन (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015) पर अधिनिर्णयन दिया और क्रमश: ₹ 10.81 लाख के अंतरीय शुल्क तथा ₹ 2.70 लाख के जुर्माने की पुष्टि की। यद्यपि, जून 2016 तक वूसली लंबित थी।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने (दिसम्बर 2016) गैर वसूली की मांग की पुष्टि स्वीकार कर ली है।

4.9.2 अस्थाई निर्धारण के मामले में, आयातक निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने की प्रतीक्षा करते हुए पहले ही ब्याज सहित शुल्क अदा कर सकता है; और ऐसे भुगतान को अंतिम निर्धारण[41] में समायोजित कर दिया जाएगा।

कोलकाता कमिश्नरी में, एक आयातक[42] ने सासन अल्ट्रा मैगा पावर प्लांट से जुड़ी हुई ट्रांसमिशन लाईन की आरंभिक स्थापना के लिए आवश्यक सामान करने के लिए दो ठेके पंजीकरण (मई 2011 और जनवरी 2012) किये। ठेकों के पंजीकरण के बाद, आयातक ने सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया (दिसम्बर 2012 और मई 2013 के बीच) कि खरीद ठेके में मूल्य वृद्धि खंड के अनुसार, विदेशी आपूर्तिकर्ता ने आपूर्तियों के प्रति पूरक बीजक दिये थे और इसलिए उनपर अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। इसके पश्चात विभाग ने अप्रैल और जुलाई 2013 के बीच पूरक बीजकों के प्रति देय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया और लागू ब्याज सहित शुल्क के भुगतान के लिए फर्म को पत्र जारी करने को कहा।

यद्यपि, यह देखा गया (जून और जुलाई 2016) कि इन दो ठेकेदारों में से, जनवरी 2012 में पंजीकृत एक मामले में, फर्म ने ₹ 1.42 करोड़ के कुल अंतरीय शुल्क के प्रति 1.09 करोड़ का अंतरीय शुल्क अदा किया। इसके

[41] जैसाकि दिनांक 09 सितम्बर 2011 के बोर्ड के परिपत्र सं. 40/2011 में प्रस्तुत किया गया।

[42] मै. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.

अतिरिक्त, फर्म ने दोनों ठेकों के प्रति अंतरीय शुल्क पर ब्याज अदा नहीं किया। कमिश्नरी ने दोनों मामलों में कुल ₹ 1.80 (₹ 37.81 लाख+₹ 1.42 करोड़) करोड़ के प्रति बकाया ₹ 32.85 लाख अंतरीय शुल्क और ब्याज संग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके कारण सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में बताया है कि आयातक को पत्र जारी कर दिया गया था और आयुक्तालय में संबंधित अनुलग्नको सहित उत्तर प्राप्त किया गया है । अन्तिम उत्तर का अनुसरण होगा।

4.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने मौजूदा प्रावधानों के कम या गलत अननुपालना की घटनाऐं देंखी। परियोजना के बाद में विस्तार के लिए ठेके वास्तविक सत्यापन के बिना अनुमत करने, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब, सामान की बिना अनुमति के आयात करने और अंजान सामान की निकासी ने पीआईआर, 1986 के प्रावधानों से विचलन को दर्शाया।